186

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एम0के0सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 1673–दो/2008 – विरूद्ध– आदेश दिनॉक 10–10–2008 – पारित व्दारा अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर – प्रकरण कमांक 476/2006–07 निगरानी

1– कल्लू उर्फ कालीचरण पुत्र मोहन चमार
2– भज्जू पुत्र मोहन चमार लावल्द फोत
निवासीगण ग्राम गोरा खास तहसील
पृथ्वीपुर जिला टीकमगढ़ मध्य प्रदेश ---आवेदकगण

विरूद्ध

1– महेश पुत्र जयराम तिवारी
2– दिनेश पुत्र जयराम तिवारी
3– चिरोंजी पुत्र हरदास कुम्हार
निवासीगण ग्राम गोरा खास तहसील
पृथ्वीपुर जिला टीकमगढ़ मध्य प्रदेश
4– मध्य प्रदेश शासन --अनावेकगण

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री एच.डी.अग्नी)
(अना.क. 1,2 की ओर से श्री कुँवर सिंह कुशवाह)
(अना.क. 4 के पैनल लायर श्री राजीव गौतम)
(अना.क. 2 सूचना उपरांत अनुपस्थित–एकपक्षीय)

आ दे श

(आज दिनॉक 15 – 2 –2017 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर व्दारा प्रकरण कमांक 476/06–07अ–19 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 10–10–08 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि तहसीलदार पृथ्वीपुर ने प्रकरण कमांक 25 अ–19/2001–02 में पारित आदेश दिनॉक 14–4–2002 से

ग्राम गोरा खास में विभिन्न भूमिहीनों को भूमि का आवन्टन किया। तहसीलदार पृथ्वीपुर के आदेश दिनांक 14-4-2002 से आवेदक कमांक-1 एंव 2 के हित में हुये भूमि सर्वे कमांक 494/1/1/3 रकबा 1.000 हैक्टर के सम्मिलित पट्टा तथा अनावेदक कमांक 3 के हित में भूमि सर्वे कमांक 494/1/1/1 रकबा 0.625 हैक्टर के पट्टे के विरूद्ध अनावेदक कमांक 1 एंव 2 ने अनुविभागीय अधिकारी निवाड़ी के समक्ष अपील कमांक 46/2015-16 प्रस्तुत की। अनुविभागीय अधिकारी निवाड़ी ने आदेश दिनांक 15-9-2006 पारित करके आवेदकगण के हित में हुये पट्टे के साथ अनावेदक कमांक 3 को हुआ पट्टा भी निरस्त कर दिया। इस आदेश के विरूद्ध आवेदकगण ने अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की। अपर आयुक्त ने प्रकरण कमांक 476/06-07 अ-19 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 10-10-08 से निगरानी निरस्त कर दी। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर आवेदकगण के अभिभाषक एंव अनावेदक कमांक 1, 2 के अभिभाषक, म0प्र0शासन के पैनल लायर के तर्क श्रवण किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालयों के प्रकरणों का अवलोकन किया गया। अनावेदक कमांक 3 सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय है।

4/ हितबद्ध पक्षकारों के अभिभाषकों व्दारा प्रस्तुत तर्को के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख के अवलोकन पर स्थिति यह है कि आवेदक कमांक-1 एंव 2 को भूमि सर्वे कमांक 494/1/1/3 रकबा 1.000 हैक्टर (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि सम्बोधित किया गया है) का सम्मिलित पट्टा अन्य पट्टाग्रहीताओं के साथ तहसीलदार पृथ्वीपुर ने प्रकरण कमांक 25 अ-19/2001-02 में पारित आदेश दिनॉक 14-4-2002 से प्रदान किया है। आवेदकगण के अभिभाषक तर्क यह है कि अनुविभागीय अधिकारी ने पट्टा मात्र इस आधार पर निरस्त किया है कि वादग्रस्त भूमि पर अनावेदक कमांक 1 एंव 2 का कब्जा है। विचार

योग्य है कि वादग्रस्त भूमि पर अनावेदक कमांक 1 एंव 2 का कब्जा रहा हो, किन्तु वादग्रस्त भूमि शासकीय थी, एंव शासकीय भूमि पर अनावेदक कमांक 1 एंव 2 का कब्जा होने से अतिक्रमण हटाया जाकर बेदखल किया सकता है एंव पटटाग्रहीताओं का अनुसूचित जाति संबर्ग का होने एंव के भूमिहीन के कारण मध्य प्रदेश शासन की वर्ष 1001-02 में भूमि आवन्टन की विशेष योजना के अंतर्गत पटटा देने में तहसीलदार ने भूल नहीं की है।

5/ आवेदकगण के अभिभाषक ने तर्को में बताया है कि तहसीलदार पृथ्वीपुर के प्रकरण कमांक 25 अ-19/2001-02 में पारित आदेश दिनॉक 14-4-2002 से आवेदकगण को पटटा प्राप्त होने के वाद हलका पटवारी एंव राजस्व निरीक्षक ने मौके पर कब्जा प्रदान कर दिया है तथा कब्जा प्राप्ति से ही आवेदकगण ने वादग्रस्त भूमि को समतल करके तथा धन एंव श्रम लगाकर उन्नत कृषि योग्य बना लिया है आवेदक क-2 बेओलाद मरा है जिसका आवेदक कमांक 1 सगा भाई होने से विधिक वारिस है जो मौके पर काविज होकर खेती कर रहा है यदि आज की स्थिति में आवेदक से भूमि वापिस लेकर अतिक्रमण को प्रोत्साहन दिया जाता है, आवेदक को बाल-बच्चों के पालन में बहत बड़ा व्यवधान हो जावेगा। यदि आवेदक के अभिभाषक के इन तर्को पर मानवीय दृष्टिकोण से विचार किया जाय -

1. **इन्दर सिंह तथा अन्य विरूद्व म0प्र0राज्य 2009 रा0नि0 251 का न्यायिक दृष्टांत है कि भूमि का आवंटन किया गया - सरकारी भूमि घोषित नहीं की सकती - प्रशासनिक अधिकारियों व्दारा की गई प्रकियात्मक त्रृटि के कारण भूमिहीन बंटितियों को भूमि के आवंटन के लाभ से बंचित नहीं किया जा सकता।**
2. **देवी प्रसाद विरूद्व नाके J.L.J. 155= 1975 R.N. 67= 1975 R.N. 208 का न्याय दृष्टांत है कि भूमि का आवन्टन 5 वर्ष पूर्व किया गया। आवंटिति को भूमिस्वामी स्वत्व प्राप्त । तत्पश्चात् आवन्टन रद्व नहीं किया जा सकता।**

उपरोक्त आधारों पर स्थिति यह है कि अनुविभागीय अधिकारी निवाड़ी ने तहसीलदार के आदेश दिनांक 14-4-2002 के विरूद्ध दिनांक 30-1-2006 को अवधि-वाह्य प्रस्तुत अपील को आदेश दिनांक 15-9-06 से स्वीकार करने में भूल की है एंव अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर व्दारा प्रकरण क्रमांक 476/06-07अ-19 निगरानी में आदेश दिनांक 10-10-08 पारित करते समय उक्त तथ्यों पर ध्यान न देने में भूल की है जिसके कारण अनुविभागीय अधिकारी निवाड़ी का आदेश दिनांक 14-4-2002 एंव अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर का आदेश दिनांक 10-10-08 स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर व्दारा प्रकरण क्रमांक 476/06-07अ-19 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 10-10-08 एंव अनुविभागीय अधिकारी निवाड़ी व्दारा अपील क्रमांक 46/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 15-9-2006 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाते हैं एंव निगरानी स्वीकार की जाकर आवेदकगण के हित तक तहसीलदार पृथ्वीपुर व्दारा प्रकरण क्रमांक 25 अ-19/ 2001-02 में पारित आदेश दिनॉक 14-4-2002 यथावत् रखा जाता है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर